Amar Ujala, Online News, 17/10/2026

Source: https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/guna/fancy-dress-competition-in-guna-school-sparks-controversy-nhrc-seeks-response-guna-news-c-1-1-noi1454-4842748-2026-10-17

गुना: फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में राजनीतिक मुद्दों पर प्रस्तुति, मचा बवाल, मानवाधिकार आयोग ने दिए जांच के आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुना
Published by: गुना ब्यूरो
Updated: Sat, 17 Oct 2026 08:16 AM IST

सार

गुना के एक निजी स्कूल में छात्रा की सामाजिक-राजनीतिक संदेशों वाली फैंसी ड्रेस प्रस्तुति पर विवाद बढ़ गया है। ABVP और सकल हिंदू समाज ने प्रदर्शन किए, जबकि NHRC के नाम से जारी पत्र में दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट मांगे जाने की बात कही गई है।

विस्तार

शहर के एक निजी विद्यालय में आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता अब शिक्षा, बच्चों की अभिव्यक्ति और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी से जुड़े विवाद का रूप ले चुकी है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में एक छात्रा की प्रस्तुति को लेकर शुरू हुआ विरोध अब प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गया है। मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और सकल हिंदू समाज ने आपत्ति जताते हुए विद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जारी पत्र में भी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के संबंधित अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन मांगा गया है।

मामले की शुरुआत मंगलवार को हुई, जब गुना के क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा एक से पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में बच्चों ने अलग-अलग वेशभूषा धारण कर अपनी प्रस्तुतियां दीं। इसी दौरान एक छात्रा की प्रस्तुति चर्चा का विषय बन गई।

छात्रा स्कूल यूनिफॉर्म में मंच पर पहुंची थी। उसके चेहरे पर पट्टी बंधी थी और उसके हाथ में एक तख्ती थी, जिस पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को स्कूली हाजिरी के रूप में दर्शाया गया था। प्रस्तुति में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, नफरत, आतंकवाद, पेपर लीक और घोटालों जैसे विषयों का उल्लेख किया गया। इसके विपरीत लोकतंत्र को अनुपस्थित दिखाया गया, जबकि वोट चोरी जैसे आरोपों को भी तख्ती पर स्थान दिया गया था।

छात्रा की पीठ पर लगी दूसरी तख्ती में सवाल पूछने वाले बच्चों, शिक्षा और लोकतांत्रिक जागरूकता के महत्व से जुड़ा संदेश लिखा था। प्रस्तुति का मूल भाव यह था कि यदि बच्चों में सवाल पूछने और विचार करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए तो शिक्षा केवल किताबों तक सीमित रह सकती है। हालांकि इसी संदेश को लेकर अलग-अलग संगठनों ने आपत्ति जताई और विद्यालय की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

प्रस्तुति के सामने आने के बाद गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के प्रतिनिधियों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में स्पष्टीकरण देने की मांग की। आपत्ति इस बात को लेकर जताई गई कि विद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम में इस प्रकार की राजनीतिक विषयवस्तु वाली प्रस्तुति कैसे शामिल हुई और इसकी जिम्मेदारी किसकी थी।

विवाद बढ़ने के बाद विद्यालय प्रबंधन ने अपना पक्ष सामने रखा। स्कूल की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया कि प्रस्तुति में व्यक्त विचारों से संस्थान का कोई संबंध नहीं है। प्रबंधन के अनुसार छात्रा को उसके अभिभावकों ने तैयार करके कार्यक्रम में भेजा था। इस तरह विद्यालय ने प्रस्तुति की जिम्मेदारी से खुद को अलग बताया और अभिभावकों की भूमिका की ओर संकेत किया।

इस स्पष्टीकरण के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ और शुक्रवार को सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर स्कूल का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि मामले में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। संगठन ने

चेतावनी दी कि उचित कदम नहीं उठाए जाने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

विद्यालय के बाहर हो रहे विरोध के बीच मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नाम भी जुड़ गया है। उपलब्ध कराए गए पत्र के अनुसार आयोग के विधि प्रभाग ने 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, गुना कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई प्रतिवेदन मांगा गया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में नाबालिग विद्यार्थियों को कथित तौर पर वैचारिक और राजनीतिक संदेशों वाली गतिविधियों में शामिल किया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त शिकायत में एक अन्य कथित घटना का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि राष्ट्रीय गान के बाद एक छात्र द्वारा राष्ट्रीय नारा लगाए जाने पर उसे दंडित किया गया था। शिकायतकर्ता ने इन घटनाओं को बच्चों के अधिकारों और विद्यालय की शैक्षणिक जिम्मेदारियों से जोड़ते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है।

महत्वपूर्ण यह है कि ये सभी बातें शिकायत में लगाए गए आरोप हैं, इन्हें जांच में प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। आयोग के नाम से जारी पत्र के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आरोपों की जांच कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ रिपोर्ट की प्रति निर्धारित ई-मेल पते पर भेजने को भी कहा गया है।

इस पूरे घटनाक्रम ने विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों की विषयवस्तु, बच्चों की भागीदारी और स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि विद्यालयों को शैक्षणिक गतिविधियों में जिम्मेदारी और सतर्कता बरतनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता से शुरू हुआ यह विवाद स्कूल परिसर से निकलकर प्रशासनिक जांच के दायरे में पहुंच गया है। आने वाले दिनों में संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष यह तय करने में अहम होंगे कि मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है।

Source: https://www.thehindubusinessline.com/news/not-my-domain-chief-justice-on-delhi-protests-curbs/article71573975.ece

Not my domain: Chief Justice on Delhi protests, curbs

He said the matter was related to law and order

By PTI

Updated - October 16, 2026 at 11:32 AM | New Delhi, Oct 12

"Ye mera mudda nahin hai. (This matter doesn't pertain to my domain)," Chief Justice of India (CJI) Surya Kant said on Monday, when asked about protests against the CEC in Delhi over the past few days and the associated restrictions.

The CJI was interacting with reporters on the sidelines of an event to commemorate the 33rd anniversary of the National Human Rights Commission (NHRC) at Vigyan Bhawan here.

The last few days have seen protests against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar in different parts of Delhi. Over the weekend, the capital turned into a fortress, with massive deployment of security personnel, closure of 45 metro stations and intensive checks at the city's border points.

Thousands of protesters, including Cockroach Janta Party leaders and former chief ministers, were detained.

The CJI, when asked about these protests and the restrictions on movement, said the matter was related to law and order.

"Ye mera mudda nahin hai," he said.

Source: https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/ysrcp-mp-seeks-probe-into-attempt-on-life-of-party-floor-leader-midhun-reddy/article71592048.ece

YSRCP MP seeks probe into ‘attempt on life’ of party floor leader Midhun Reddy

In his representations to the President, the Prime Minister, the Union Home Minister, the Lok Sabha Speaker, and heads of various national institutions, Gurumoorthy seeks adequate protection for Midhun Reddy, his security personnel, and candidates participating in the local body elections

Published - October 16, 2026 06:32 pm IST - VIJAYAWADA

YSRCP MP seeks probe into ‘attempt on life’ of party floor leader Midhun Reddy

Published - October 16, 2026 06:32 pm IST - VIJAYAWADA

YSRCP’s Tirupati MP Maddila Gurumoorthy sought the intervention of national institutions over the alleged attempt on the life of party’s Floor leader in Lok Sabha P.V. Midhun Reddy at Punganur on Friday, the first day of filing of nominations for the local body elections.

Mr. Gurumoorthy submitted representations seeking urgent action to President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, the Chief Justice of India, Lok Sabha Speaker Om Birla, the Chief Election Commissioner, the Andhra Pradesh Governor, the State Election Commissioner, and the National Human Rights Commission chairperson.

He called for an impartial investigation into the incident, preservation of CCTV footage and other evidence, and a thorough examination of alleged security lapses. He also sought adequate protection for Mr. Midhun Reddy, his security personnel, and candidates.

Mr. Gurumoorthy referred to the Andhra Pradesh High Court order dated October 15, 2026, concerning safe filing of nominations and protection for candidates facing threat. He urged the Lok Sabha Speaker to consider referring the matter to the Committee of Privileges.

He appealed to the authorities concerned to ensure accountability, protect candidates from intimidation and uphold their right to participate freely in the local body elections.

Source: The Hindu, 16 October 2026

(Note: The website’s subscription prompts, commenting section, and user interface text appearing after the article have been omitted.)

Source: https://insamachar.com/nhrc-has-taken-suo-motu-cognizance-of-an-incident-in-rajasthans-udaipur-district-where-three-students-were-injured-after-the-ceiling-plaster-fell-in-a-classroom-of-a-dilapidated-government-s/

का प्लास्टर गिरने से तीन छात्रों के घायल होने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया
Editor Posted on16 अक्टूबर 2026

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के उदयपुर जिले में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जर्जर इमारत में, कक्षा की छत का प्लास्टर गिरने से 7 से 8 साल की उम्र के तीन छात्र घायल हो गए। बताया गया है कि छात्रों के सिर पर चोट आई हैं और घटना के समय स्कूल में कोई शिक्षक मौजूद नहीं था। घायल छात्र खुद चलकर अपने घर गए, जिसके बाद उनके परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए।

नक्शे देखें

आयोग ने कहा है कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सच है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है। इसलिए, आयोग ने उदयपुर के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा है कि इस रिपोर्ट में घायल छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।

7 अक्टूबर 2026 की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के बाद स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया था। प्रशासन द्वारा कक्षाएं चलाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया गया है कि स्कूल की इमारत की आखिरी बार मरम्मत 2020 में हुई थी।

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/rs-10-lakh-aid-reaches-minor-bonded-labour-survivor/articleshow/134998479.cms

Rs 10 lakh aid reaches minor bonded labour survivor
Adwitiya Deb/Oct 16, 2026 21:05 IST

Patna: A minor bonded labour survivor from Kishanganj who lost his left arm while allegedly working at a dairy farm in Haryana has received the Rs 10 lakh compensation sanctioned by the Haryana govt. However, his bonded labour release certificate (RC) is still pending.

“Santosh received the Rs 10 lakh compensation on Thursday. The chief secretary of Haryana, on behalf of the state govt, has disbursed the amount on humanitarian grounds,” said Santosh’s lawyer Yogesh Parshad.

The compensation followed a recommendation by the Haryana State Human Rights Commission to provide financial assistance for Santosh’s rehabilitation and a better quality of life.

Santosh has also been fitted with a prosthetic arm. However, the pending RC remains a concern as it is required to access rehabilitation benefits available to bonded labour survivors.

The National Human Rights Commission had also taken suo motu cognizance of reports about his exploitation and sought responses from the concerned authorities.

Source: https://english.mathrubhumi.com/amp/news/india/satirical-youth-party-questions-govt-did-india-invoke-cjp-protests-to-counter-un-criticism-oz3nly57

Satirical youth party questions govt': Did India invoke CJP protests to counter UN criticism?

Edited By: Anand P
Last Updated: 17 October 2026, 07:41 AM IST

New York: Did India indirectly refer to the Cockroach Janta Party (CJP) protests while defending its record on democratic freedoms at the United Nations? A remark by Indian diplomat Anuj Swarup about a satirical youth political movement questioning the government, marching on the national capital and engaging with senior leaders has drawn attention amid the ongoing debate over youth-led protests in India.

Speaking at the 81st session of the United Nations General Assembly (UNGA) Third Committee, Swarup cited the emergence of a satirical political movement in India to challenge allegations by UN Special Rapporteur Gina Romero that young people in the country face retaliation or stigmatisation for discussing issues such as mental health and gender justice.

Although Swarup did not identify the political movement by name, his reference to a satirical youth party challenging the government and marching on the capital raises the question of whether he was alluding to the CJP movement.

"Ironically, the same report notes that young Indians created a satirical political movement. In which repressive state does a satirical youth party question the government, marches on the capital, and then sits across the table with senior national leaders? The High Commissioner for Human Rights stated in the Human Rights Council last month that dialogue with young leaders is far more effective in the context of youth-led movement in India. Perhaps that update escaped the special rapporteur's attention," Swarup said.

The remarks formed part of India's response to Romero's report on the rights to freedom of peaceful assembly and association.

Swarup argued that the ability of young people to establish a satirical political movement, openly question the government and interact with senior national leaders demonstrated the space available for political participation in India.

However, the diplomat's statement did not explicitly mention the CJP or its founder Abhijeet Dipke.

India rejects UN rapporteur's allegations

During the interactive dialogue with Romero, Swarup strongly rejected allegations concerning the treatment of young people in India, questioning the evidence cited in her report.

India's Permanent Mission to the United Nations in New York subsequently shared his statement on X.

“Madam Chair, India takes note of the report of the special rapporteur on freedom of peaceful assembly and association. In India, these freedoms, together with freedom of speech and expression, are guaranteed to every citizen under Article 19 of our Constitution, and are protected by an independent judiciary, a free press, and an empowered National Human Rights Commission,” Swarup said.

The Indian diplomat accused the Special Rapporteur of relying on anonymous submissions to make sweeping observations about the condition of young people in the country.

“Yet, the special rapporteur, Ms Gina Romero, asserts that young people in India face retaliation or stigmatisation for discussing mental health or gender justice, though merely citing unnamed submissions in the footnote. This level of arbitrary report writing is precisely the reason that the United Nations and its institutions have lost credibility. A sweeping charge against the world's largest youth population resting on anonymous and unverified claims is not evidence. It is hearsay, dressed up as a UN report, and my delegation rejects it outright,” he said.

Swarup maintained that allegations involving India's youth population should be supported by credible and verifiable evidence rather than unnamed submissions.

Satirical political movement cited as example of democratic participation

The reference to a satirical youth political movement emerged as one of the notable elements of India's rebuttal.

Swarup questioned how a political organisation formed by young people could openly challenge the government, organise a march to the capital and hold discussions with senior national leaders if the country were suppressing democratic participation.

He also referred to observations made by the UN High Commissioner for Human Rights at the Human Rights Council last month, particularly the emphasis on dialogue with young leaders.

The diplomat suggested that Romero's assessment had failed to adequately consider such developments.

His remarks raised the possibility of a reference to the CJP protests, although the statement itself offered no explicit confirmation of that connection.

India highlights response to student protests

Swarup also cited the government's handling of student demonstrations over irregularities in public examinations as an example of what he described as constructive engagement with young people.

He said the government had responded to the protests through legislative changes and institutional reforms aimed at tackling examination fraud.

“When students protested this summer over irregularities in public examinations, the government engaged constructively with the youth. Within weeks, Parliament amended the Public Examinations Act, doubling punishments for paper leaks, carried out a systemic examination overhaul, and created fast-track courts in every state specifically dedicated to prosecuting individuals involved in exam fraud. This is the true testament of democracy in action,” he said.

According to Swarup, the measures demonstrated that the government was willing to address concerns raised by students through democratic and legislative processes.

Over five million youth participated in government initiative

The Indian representative further highlighted the participation of young people in national policymaking, citing the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue.

He said more than five million young people had participated in the initiative this year and contributed to discussions on national priorities.

“Youth represents our strength and shared future. In the words of our Prime Minister, ‘Youth's capability will become India's capability, and their success will take India's success to new heights.’ Over 5 million young people took part in the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue this year, shaping national priorities directly with the Prime Minister. Several ministers, including the honourable Prime Minister, continue to engage with the youth of our country directly and through social media,” he said.

Swarup presented the initiative as another example of the government's efforts to encourage youth participation and direct engagement with political leadership.

'Verify before she vilifies'

Concluding his intervention, Swarup urged the UN Special Rapporteur to exercise greater caution and scrutiny before making observations about India's human rights record.

He argued that relying on anonymous inputs to draw conclusions about a country of 1.4 billion people undermined the credibility of the reporting process.

“Chair, a mandate holder who relies on anonymous inputs to generalise for 1.4 billion people does a disservice to the very mandate she holds. We urge this special rapporteur to verify before she vilifies and to bring the required rigour and fairness in her reports,” he said.

Earlier on Thursday, Romero had announced that she would present her latest report to the UN General Assembly, highlighting concerns about restrictions faced by young people in several countries.

"Tomorrow I will present my new report to the UN General Assembly. Youth are an important actor, and many States repress, stigmatize and exclude them," she wrote on X.

Romero, a Colombian human rights advocate, serves as the UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association.

Source: https://thehindustangazette.com/national/new-delhi/political-outcry-grows-over-custodial-killing-of-muslim-youth-in-bihars-west-champaran-48969

Political Outcry Grows Over Custodial Killing of Muslim Youth in Bihar's West Champaran
By Waquar Hasan October 16, 2026

NEW DELHI – Opposition parties have demanded a high-level, impartial probe into the alleged custodial death of 25-year-old Dilshad Ansari in Bihar's West Champaran district, rejecting the police version of events and calling for accountability, compensation, and justice for the family.

Ansari, a resident of Badhayi Tola in Auraiya under Banuchhapar police station limits in Bettiah, was arrested in connection with an NDPS Act case. Police claimed he jumped from a moving vehicle while being taken to Sahodra police station on the night of October 12, 2026, sustaining fatal head injuries. He was declared dead on arrival at Government Medical College and Hospital (GMCH), Bettiah. His family alleges he was taken from home around 2 am after police assured he would be released after questioning, and that he died from a severe head injury caused by assault, with limited other visible injuries. Six police personnel, including the Sahodra SHO and a sub-inspector, were suspended.

Rashtriya Janata Dal (RJD) leaders, led by former minister Dr. Shamim Ahmed, visited the family. Leader of the Opposition Tejashwi Yadav spoke to the bereaved relatives via video call from Delhi. He shared their grief, assured them of efforts to secure justice for their late son, and stressed the need for an impartial investigation, truth to come out, and legal action against those responsible. RJD described the incident as a custodial killing in which Ansari was picked up at night for questioning and allegedly beaten. MLC Saurabh Kumar and other party leaders also demanded scrutiny of the post-mortem report, medical evidence, and circumstances of the death.

AIMIM leaders, acting on instructions from party president Asaduddin Owaisi, met Bihar Chief Minister Samrat Choudhary. They demanded an SIT investigation into what they termed the "brutal killing in police custody," financial assistance and a government job for the victim's family, and stringent action against the offenders. AIMIM spokesperson and Youth President Aadil Hasan Adv stated that ensuring justice is the administration's primary responsibility, called for a fair and transparent probe with strict legal accountability beyond mere suspension, and urged the NHRC to take cognizance. He said the family should receive proper compensation and support.

Azad Samaj Party leader Chandrashekhar Azad raised concerns over the custodial death. He urged the Bihar Chief Minister's Office to ensure a fair and transparent investigation and strict action against those responsible.
"We demand from @officecmbihar that a fair and transparent investigation be conducted into the entire matter, so that the true circumstances of Dilshad's death can be uncovered and the guilty held accountable. Dilshad's family deserves justice," he said.

Former Rajya Sabha MP Ali Anwar, who heads the All India Pasmanda Muslim Mahaz, deplored the incident and urged Chief Minister Samrat Choudhary to book the police personnel for alleged kidnapping and murder. Citing accounts that there were no injury marks on Ansari's arms and legs (inconsistent with jumping from a running vehicle), he called for NHRC intervention and ex-gratia compensation for the family of the poor man who left

behind a young daughter.

CPI(ML) Liberation and others also joined protests across Bihar against police atrocities, specifically seeking justice for Ansari along with other cases involving marginalised communities, and demanding an end to police excesses and action against responsible personnel.

The family continues to press for a high-level inquiry and registration of a murder case. Police have maintained their account of the jump from the vehicle while stating that further proceedings are underway in line with NHRC guidelines.

Source: https://www.freepressjournal.in/mumbai/nhrc-issues-notice-to-maharashtra-govt-over-alleged-chemical-contamination-of-borewell-water-in-nashik

NHRC Issues Notice To Maharashtra Govt Over Alleged Chemical Contamination Of Borewell Water In Nashik

The NHRC has taken suo motu cognisance of alleged chemical contamination of borewell water in Nashik's Dattanagar locality near Ambad Industrial Area. Residents reportedly faced polluted water for two months, spending ₹5,000 monthly on drinking water. The Commission has sought a report from Maharashtra's Chief Secretary within two weeks and comments from the state pollution control board.

FPJ News ServiceUpdated: Friday, October 16, 2026, 07:14 PM IST

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that the borewell water in the Dattanagar locality near Ambad Industrial Area in Nashik district, Maharashtra became contaminated due to seepage of chemical-laden effluents, allegedly discharged from factories in the adjoining industrial area. Reportedly, the residents have been receiving contaminated water for the past two months.

NHRC Seeks Report Within Two Weeks

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights. Therefore, it has issued a notice to the Maharashtra Chief Secretary, calling for a detailed report on the matter within two weeks. It has also sought comments from the Maharashtra State Pollution Control Board.

According to the media report, carried on 7th October 2026, children were advised not to attend schools while doctors advised women from the area to avoid pregnancy. The residents spend approximately Rs. 5,000 per month on purchasing clean drinking water, besides incurring a huge amount on medical treatment.

Source: https://newsonair.gov.in/nhrc-issues-notice-to-maharashtra-govt-over-contaminated-borewell-water-in-nashik/

NHRC issues notice to Maharashtra Govt over contaminated borewell water in Nashik
News On AIR | October 16, 2026 7:51 PM

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report alleging that borewell water in the Dattanagar locality, near the Ambad Industrial Area in Nashik district of Maharashtra, has been contaminated due to the seepage of chemical-laden effluents. According to the report, residents have been receiving contaminated water for the past two months. The contamination is allegedly caused by industrial effluents discharged from factories in the adjoining industrial area. The NHRC has issued a notice to the Maharashtra Chief Secretary, seeking a detailed report on the matter within two weeks. It has also sought comments from the Maharashtra State Pollution Control Board. The Commission said that, if true, the allegations raise serious concerns regarding human rights violations.

Source: https://www.socialnews.xyz/2026/10/16/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-students-injured-in-rajasthan-school-ceiling-collapse/

NHRC takes suo motu cognisance of students injured in Rajasthan school ceiling collapse
Posted By: Gopi October 16, 2026

New Delhi, Oct 16 (SocialNews.XYZ) The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of an incident in Rajasthan's Udaipur district, where three students were injured after a portion of the ceiling plaster of their classroom collapsed in a dilapidated government primary school building. According to a media report, the incident took place on October 6 at a government primary school in Narda village under the Bhinder Police Station area, when a portion of the classroom ceiling plaster suddenly fell on the children.

The injured students, aged 7 to 8 years, reportedly sustained head injuries. The incident occurred at around 11 a.m. when 32 children were present in the classroom. Teachers were reportedly not present at the school at the time of the incident, and the injured students walked home on their own before their family members took them to a hospital for treatment. The NHRC has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights. Taking suo motu cognisance of the matter, the apex human rights body has issued a notice to the Udaipur District Magistrate, calling for a detailed report within two weeks. The report is expected to include the health status of the injured students.

As per the media report, the three students who sustained head injuries were taken to Bhinder Government Hospital for treatment and were subsequently discharged. The incident triggered panic among students and staff, as the ceiling plaster fell with a loud noise. Following the incident, the school building was locked on the instructions of the Education Department and the local administration, while arrangements were made to conduct classes at an alternative location near a local shrine.

The school's headmaster, Lalsingh Shaktawat, said the institution caters to students up to Class 5 and has an enrolment of 37 children. He also stated that the school authorities had previously informed the Education Department about the dilapidated condition of the building. The school building was constructed in 2001 and reportedly has two rooms and a veranda, all in poor condition. Villagers alleged that repeated complaints regarding the deteriorating structure had been submitted to the authorities, but no effective action had been taken. The incident has raised concerns over the safety of children studying in government schools in Rajasthan operating from ageing and poorly maintained buildings.

Source: IANS

Source: https://www.socialnews.xyz/2026/10/16/nhrc-seeks-reports-on-assault-on-woman-in-gujarat-contaminated-borewell-water-in-maharashtra/

NHRC seeks reports on assault on woman in Gujarat, contaminated borewell water in Maharashtra
Posted By: Gopi October 16, 2026

New Delhi, Oct 16 (SocialNews.XYZ) The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report regarding the alleged assault and inhuman treatment of a married woman by her husband and family members in Gujarat's Surendranagar district. In a separate matter, the NHRC has also taken suo motu cognisance of a media report regarding the alleged contamination of borewell water in Maharashtra's Nashik district.

Observing that the contents of the media report, if true, raise serious issues of violation of human rights, the apex human rights body has issued notices to the Surendranagar District Magistrate and Superintendent of Police, seeking a detailed report within two weeks. The NHRC said the report is expected to include the current health status of the victim and details of any compensation paid to her.

According to the media report, the woman and the man she was living with, were allegedly tracked down by the husband and family members of the woman. They were enraged over her living with the man. They brought them both back to Surendranagar under the pretext of conducting a "purification ritual". The woman was allegedly beaten with sticks, kicked and tied to a tree. The accused also allegedly forced the man accompanying her to rape her. The incident reportedly came to light after a video of the alleged assault was circulated on social media.

In another matter, the NHRC has also taken suo motu cognisance of a media report regarding the alleged contamination of borewell water in Dattanagar locality near the Ambad Industrial Area in Maharashtra's Nashik district due to the seepage of chemical-laden factory effluents.

The apex human rights body has issued a notice to the Maharashtra Chief Secretary, seeking a detailed report on the matter within two weeks. It has also sought comments from the Maharashtra State Pollution Control Board. The NHRC observed that the contents of the media report, if true, raise serious issues of violation of human rights.

According to the media report, carried on October 7, residents of Dattanagar have allegedly been receiving contaminated borewell water for the past two months due to the seepage of chemical-laden effluents allegedly discharged from factories in the adjoining industrial area. The report stated that children had been advised not to attend schools, while doctors had advised women in the locality to avoid pregnancy. The residents are reportedly spending around Rs 5,000 per month on purchasing clean drinking water, besides incurring substantial expenses on medical treatment.

Source: IANS

Source: https://royalbulletin.in/delhi-ncr/%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A5%9B%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6/human-rights-commission-issues-strict-notice-to-power-corporation-chairman/article-243672#google_vignette

गाजियाबाद में दौलतपुरा फैक्ट्री हादसे पर मानवाधिकार आयोग सख्त, पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन और डीएम को नोटिस
By संजय मित्तल गाज़ियाबाद जिला प्रभारी Oct 16, 2026 08:50 PM IST

गाजियाबाद। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के दौलतपुरा स्थित एक फैक्ट्री में विद्युत ट्रांसफार्मर फटने से हुए हादसे के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। 23 सितंबर 2026 को हुई इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में मजदूरों की सुरक्षा और जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। साथ ही घटना की जांच कराकर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

मानवाधिकार पक्षकार की याचिका पर कार्रवाई

राजीव कुमार शर्मा के अनुसार, ट्रांसफार्मर फटने की घटना में एक मजदूर की जान चली गई थी और चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्होंने मामले को मजदूरों की सुरक्षा और उनके मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी।

चार सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश

याचिकाकर्ता के मुताबिक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने घटना की जांच कराकर निर्धारित चार सप्ताह की समयसीमा में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस कार्रवाई के बाद अब हादसे के कारणों, विद्युत ट्रांसफार्मर की सुरक्षा व्यवस्था और संबंधित स्तर पर जिम्मेदारी जैसे सवालों की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि, इन पहलुओं पर अंतिम स्थिति जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मजदूरों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

दौलतपुरा फैक्ट्री हादसे में एक मजदूर की मौत और चार लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना ने औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे हादसों में सुरक्षा मानकों के पालन, विद्युत उपकरणों के रखरखाव और संभावित लापरवाही की जांच अहम मानी जाती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से नोटिस जारी किए जाने और जांच रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही हादसे के वास्तविक कारणों और संबंधित अधिकारियों या अन्य जिम्मेदार पक्षों की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

Source: https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-nhrc-demands-report-on-up-madrasa-hostels-safety-standards-40407545.html

यूपी के 556 मदरसा हॉस्टलों में चल रही सुरक्षा मानकों की अनदेखी, NHRC ने लिया कड़ा एक्शन
By Parvez Ahmad
Edited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Sat, 17 Oct 2026 05:30 AM (IST)
Updated: Sat, 17 Oct 2026 07:06 AM (IST)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के 556 अनुदानित मदरसों के छात्रावासों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से रिपोर्ट मांगी है।

HighLights

NHRC ने यूपी के 556 मदरसों पर रिपोर्ट मांगी।

छात्रावासों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप।

8 नवंबर तक जांच रिपोर्ट देने का निर्देश।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकार से अनुदान पाने वाले राज्य के 556 मदरसों के छात्रावासों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होने की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जवाब मांगा है।

आयोग ने आठ नवंबर तक जांच रिपोर्ट और की गई कार्रवाई का ब्योरा देने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय तक जवाब नहीं मिलने पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

बाराबंकी निवासी तलहा अंसारी ने एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई थी कि सरकार से अनुदान पाने वाले 556 मदरसों में से अधिकतर के प्रबंधकों ने छात्रावास संचालन के लिए जरूरी सरकारी अनुमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं लिए हैं। शिकायत में छात्रावासों में अग्नि सुरक्षा के उपकरणों और संसाधनों की कमी का आरोप भी लगाया गया था।

जांच कर दिए रिपोर्ट देने का निर्देश

इसके अलावा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी प्रमाणपत्रों, साफ-सफाई और सुरक्षित पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा भी उठाया गया था। शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयोग ने सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ के माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के अपर मुख्य सचिव और विभाग के निदेशक को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।

आयोग ने 8 नवंबर तक जांच और कार्रवाई का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक शीलधर सिंह का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। आयोग को समय से रिपोर्ट भेज दी जाएगी।

Source: https://www.jagran.com/west-bengal/kolkata-congress-approaches-human-rights-commission-on-nandigram-violence-40407047.html

बंगाल: नंदीग्राम हिंसा पर मानवाधिकार आयोग पहुंची कांग्रेस, निष्पक्ष जांच की मांग
By Jagran News Edited By: Anshika Agarwal
Published: Fri, 16 Oct 2026 04:43 PM (IST)

कांग्रेस ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव से पहले और बाद हुई हिंसा के आरोपों को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है।

HighLights

कांग्रेस ने नंदीग्राम हिंसा पर मानवाधिकार आयोग का रुख किया।

निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की।

नंदीग्राम के 11 घायलों व प्रभावितों की सूची भी सौंपी।

जागरण ब्यूरो, कोलकाता। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव से पहले और बाद में हुई हिंसा के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने राज्य मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने आयोग के चेयरपर्सन इंद्रप्रसन्न मुखोपाध्याय को पत्र लिखकर घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और घायलों व प्रभावितों को चिकित्सा सहायता तथा उचित मुआवजा देने की मांग की है।

कांग्रेस ने आयोग को नंदीग्राम के सोनाचूड़ा, आमदाबाद, रेयापाड़ा, भेकुटिया, केंदमारी, सामसाबाद और नैयान इलाके के 11 घायलों व प्रभावितों के नामों की सूची भी सौंपी है। पत्र में दावा किया गया है कि उपचुनाव से पहले और बाद में हुई हिंसक घटनाओं में कई लोग घायल हुए हैं।

पार्टी ने इन घटनाओं को नागरिकों के मौलिक अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और भयमुक्त होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार से जुड़ा गंभीर मामला बताया है।

राजनीतिक पहचान से परे न्याय की मांग

कांग्रेस ने आयोग के सामने सात सूत्री मांगें रखते हुए कहा है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी राजनीतिक पहचान से परे न्याय पाने का अधिकार है। पार्टी ने आयोग से जल्द हस्तक्षेप करने की अपील की है, ताकि किसी भी प्रभावित व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से न्याय और सहायता से वंचित न रहना पड़े।

गौरतलब है कि इससे पहले रेजिनगर में उपचुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पुलिस के जरिए परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष व विधायक हुमायूं कबीर ने भी मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी।

Source: https://www.joharlive.com/news/nhrc-action-jpsc-jssc-students-complaint-dhanbad-ssp-report/

JPSC-JSSC सुधार की मांग करने वाले छात्रों की शिकायत पर NHRC सख्त, धनबाद SSP से दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
by Muskan Choudhary October 16 2026
जोहार लाइव ब्यूरो

झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस की कथित कार्रवाई का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पहुंच गया है. आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए धनबाद के SSP को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. साथ ही, शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) पेश करने को कहा है.

यह शिकायत चंडी तिवारी ने की है. उनका आरोप है कि JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच की ओर से आयोजित शांतिपूर्ण और संवैधानिक विरोध-प्रदर्शन के दौरान उन्हें परेशान किया गया, मानसिक रूप से डराया गया और पुलिस ने अनुचित कार्रवाई की.

कैमोफ्लाज पैंट पहनने पर रोके जाने का आरोप
शिकायतकर्ता के अनुसार, पुलिस ने उन्हें कैमोफ्लाज पैटर्न वाली पतलून पहनने के कारण रोका. उनका कहना है कि वे सशस्त्र बलों के सदस्य होने का दावा नहीं कर रहे थे, इसके बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के बाद रात करीब 12:30 बजे पुलिस के दो वाहन उनके घर पहुंचे. वहां परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई, जिससे परिवार के लोगों में डर और मानसिक परेशानी पैदा हुई.

चंडी तिवारी ने अपने और अन्य छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज किए जाने को लेकर भी चिंता जताई है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है.

NHRC ने मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका जताई
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7 अक्टूबर 2026 के पत्र के अनुसार, शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े प्रतीत होते हैं. आयोग की पीठ ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले में संज्ञान लिया है. आयोग की पीठ की अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो ने की. इसके बाद आयोग की रजिस्ट्री को धनबाद के SSP को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराई जा सके.

कौन हैं चंडी तिवारी?
चंडी तिवारी मूल रूप से धनबाद जिले के रहने वाले हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी. वह रांची में रहकर पिछले सात वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी. रिपोर्ट में उनकी आर्थिक कठिनाइयों का भी उल्लेख किया गया था. उनके परिवार से हर महीने चार हजार रुपये मिलते थे, जिससे उन्हें कमरे का किराया, भोजन और पढ़ाई का खर्च चलाना पड़ता था. बीमारी की स्थिति में इलाज के लिए उन्हें दोस्तों से कर्ज लेना पड़ता था.

चंडी तिवारी JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच से जुड़ी हुई है. यह मंच झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आंदोलनरत थी.

दो सप्ताह में देनी होगी कार्रवाई रिपोर्ट
NHRC ने निर्देश दिया है कि शिकायत पर उचित कार्रवाई करते हुए उसकी रिपोर्ट आयोग के समक्ष पेश की जाए. यह रिपोर्ट नोटिस मिलने के दो सप्ताह के भीतर भेजनी होगी. आयोग ने संबंधित रिपोर्ट की एक प्रति अपने निर्धारित ईमेल पते पर भी भेजने को कहा है.

निर्देश के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों को आयोग के साथ आधिकारिक पत्राचार HRCNet पोर्टल के जरिए करना होगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईमेल से भेजी गई रिपोर्ट या जवाब पर विचार नहीं किया जाएगा. ऑडियो-वीडियो सीडी और पेन ड्राइव जैसे साक्ष्य स्पीड पोस्ट या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम

से भेजे जा सकते हैं.

Source: https://insamachar.com/nhrc-has-taken-suo-motu-cognizance-of-reports-regarding-the-contamination-of-borewell-water-due-to-the-leakage-of-chemical-waste-in-the-nashik-district-of-maharashtra/#google_vignette

NHRC ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में रासायनिक अपशिष्टों के रिसाव से बोरवेल का पानी दूषित होने की खबर पर स्वतः संज्ञान लिया
Editor Posted on16 अक्टूबर 2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-एनएचआरसी ने महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंबड औद्योगिक क्षेत्र के निकट दत्तानगर इलाके में बोरवेल का पानी दूषित होने की मीडिया में प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है। कहा गया है कि आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों से रासायनिक अपशिष्टों के रिसाव से पानी दूषित हुआ है। खबरों के अनुसार, स्थानीय निवासियों को पिछले दो महीनों से दूषित पानी मिल रहा है।

आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट सही होने पर यह मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन का मामला है। आयोग ने इस सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी इस पर जवाब मांगा है।

7 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दूषित जल की वजह से बच्चों को स्कूल न जाने की सलाह दी गई, जबकि डॉक्टरों ने क्षेत्र की महिलाओं को गर्भधारण से बचने की सलाह दी है। स्थानीय निवासियों को स्वच्छ पेयजल खरीदने पर हर महीने लगभग 5 हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और इलाज पर भी काफी धन खर्च हो रहा है।

Source: https://www.amarujala.com/rajasthan/nhrc-takes-suo-motu-on-udaipur-government-school-ceiling-plaster-collapse-three-students-injured-2026-10-16

Hindi News › Rajasthan › NHRC takes suo motu On Udaipur Government School Ceiling Plaster Collapse Three Students Injured

उदयपुर: स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से 3 बच्चे घायल, मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान; डीएम से मांगी रिपोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Fri, 16 Oct 2026 08:02 PM IST

सार

उदयपुर के एक जर्जर सरकारी स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से तीन बच्चे घायल हो गए थे। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेकर जिला प्रशासन से जवाब मांगा है।

विस्तार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के उदयपुर जिले में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जर्जर इमारत में कक्षा की छत का प्लास्टर गिरने से तीन बच्चों के घायल होने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में उदयपुर के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

नर्दा गांव के स्कूल में हुआ था हादसा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 6 अक्टूबर को भिंडर थाना क्षेत्र के नर्दा गांव स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। कक्षा की छत का एक हिस्सा अचानक बच्चों के ऊपर गिर गया। हादसे के समय कक्षा में 32 बच्चे मौजूद थे। घटना सुबह करीब 11 बजे हुई।

7 से 8 साल के तीन बच्चों को लगी चोट

रिपोर्ट के मुताबिक, घायल बच्चों की उम्र 7 से 8 साल के बीच है। तीनों के सिर में चोटें आई थीं। बताया गया कि हादसे के समय स्कूल में शिक्षक मौजूद नहीं थे। घायल बच्चे खुद पैदल घर पहुंचे, जिसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए। तीनों बच्चों को भिंडर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

NHRC ने मानवाधिकार उल्लंघन पर जताई चिंता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि यदि मीडिया रिपोर्ट में सामने आए तथ्य सही हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े गंभीर सवाल उठाता है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उदयपुर के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किया है। उनसे दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट में घायल बच्चों की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी भी शामिल करनी होगी।

वैकल्पिक जगह पर लगेंगी कक्षाएं

हादसे के बाद छत का प्लास्टर तेज आवाज के साथ गिरने से स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर स्कूल भवन को बंद कर दिया गया। इसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए स्थानीय मंदिर के पास वैकल्पिक स्थान पर कक्षाएं संचालित करने की व्यवस्था की गई।

पहले भी की गई थी शिकायत

स्कूल के प्रधानाध्यापक लालसिंह शक्तावत ने बताया कि विद्यालय में पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है और यहां 37 बच्चे नामांकित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भवन की जर्जर स्थिति के बारे में पहले शिक्षा विभाग को सूचना दी गई थी। वर्ष 2001 में बने इस भवन में दो कमरे और एक बरामदा है। रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी की हालत खराब है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भवन की खराब होती स्थिति को लेकर अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पुराने और खराब रखरखाव वाले भवनों में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/hindi-nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-students-injured-in-rajasthan-school-ceiling-collapse-20261016183016-1377614

Home /अन्य /उदयपुर स्कूल हादसे का एनएचआरसी ने...

उदयपुर स्कूल हादसे का एनएचआरसी ने लिया स्वत संज्ञान, तीन छात्रों के घायल होने पर मांगी रिपोर्ट

17 Oct 2026 2:01 AM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राजस्थान के उदयपुर जिले में एक जर्जर सरकारी प्राथमिक विद्यालय की कक्षा की छत का प्लास्टर गिरने से तीन छात्रों के घायल होने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राजस्थान के उदयपुर जिले में एक जर्जर सरकारी प्राथमिक विद्यालय की कक्षा की छत का प्लास्टर गिरने से तीन छात्रों के घायल होने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 6 अक्टूबर को भिंडर पुलिस थाना क्षेत्र के नारदा गांव के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हुई, जब कक्षा की छत का प्लास्टर अचानक बच्चों के ऊपर गिर गया। 7 से 8 साल की उम्र के छात्रों के सिर पर चोटें आई हैं। हादसा करीब 11 बजे हुई, जब कक्षा में 32 बच्चे मौजूद थे। बताया गया है कि घटना के समय स्कूल में शिक्षक मौजूद नहीं थे। घायल छात्र खुद ही अपने घर चले गए, जिसके बाद उनके परिजन उन्हें अस्पताल ले गए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा है कि अगर मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी सच है तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने उदयपुर के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट में घायल छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी भी शामिल होगी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिन तीन छात्रों के सिर पर चोटें आई थीं, उन्हें इलाज के लिए भिंडर सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, जहां से बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर स्कूल की इमारत को बंद कर दिया गया। साथ ही, पास के एक धार्मिक स्थल के पास वैकल्पिक जगह पर कक्षाएं चलाने की व्यवस्था की गई।

स्कूल के प्रधानाध्यापक लालसिंह शक्तावत ने बताया कि इस स्कूल में कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है और यहां कुल 37 बच्चे नामांकित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल प्रशासन ने पहले ही शिक्षा विभाग को इमारत की जर्जर हालत के बारे में सूचित कर दिया था। स्कूल की इमारत 2001 में बनी थी। इसमें दो कमरे और एक बरामदा है और ये सभी बहुत खराब हालत में हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि इमारत की खस्ताहाल स्थिति के बारे में अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना ने राजस्थान के उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है, जो पुरानी और खराब रखरखाव वाली इमारतों में चल रहे हैं।

Source: https://udaipurtimes.com/news/nhrc-suo-motu-cognizance-on-roof-collapse-in-udaipur-school/cid19411786.htm

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उदयपुर के सरकारी स्कूल की कक्षा में छत गिरने से तीन छात्रों के घायल होने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया
By Mansoor Orawala Oct 16, 2026, 20:58 IST

News: भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के उदयपुर जिले में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जर्जर इमारत में, कक्षा की छत का प्लास्टर गिरने से 7 से 8 साल की उम्र के तीन छात्र घायल हो गए। बताया गया है कि छात्रों के सिर पर चोट आई हैं और घटना के समय स्कूल में कोई शिक्षक मौजूद नहीं था। घायल छात्र खुद चलकर अपने घर गए, जिसके बाद उनके परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए। आयोग ने कहा है कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सच है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है। इसलिए, आयोग ने उदयपुर के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा है कि इस रिपोर्ट में घायल छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।

उदयपुर समाचार ऐप 7 अक्टूबर 2026 की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के बाद स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया था। प्रशासन द्वारा कक्षाएं चलाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया गया है कि स्कूल की इमारत की आखिरी बार मरम्मत 2020 में हुई थी।

Bhaskar Hindi, Online News, 17/10/2026

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/hindi-nhrc-seeks-reports-on-assault-of-woman-in-gujarat-contaminated-borewell-water-in-maharashtra-20261016183103-1377666

गुजरात में महिला पर हमले और महाराष्ट्र में बोरवेल के दूषित पानी पर एनएचआरसी सख्त, सरकार से मांगी रिपोर्ट
17 Oct 2026 3:22 AM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में एक विवाहित महिला के साथ उसके पति और परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट और अमानवीय व्यवहार की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। एक अन्य मामले में एनएचआरसी ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में बोरवेल के पानी के दूषित होने की मीडिया रिपोर्ट पर भी स्वतः संज्ञान लिया है।

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में एक विवाहित महिला के साथ उसके पति और परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट और अमानवीय व्यवहार की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। एक अन्य मामले में एनएचआरसी ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में बोरवेल के पानी के दूषित होने की मीडिया रिपोर्ट पर भी स्वतः संज्ञान लिया है।

मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के तथ्यों पर गौर करते हुए कहा है कि अगर ये बातें सच हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। आयोग ने सुरेंद्रनगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने कहा है कि इस रिपोर्ट में पीड़िता की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति और उसे दिए गए किसी भी मुआवजे का विवरण शामिल होना चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महिला जिस पुरुष के साथ रह रही थी, उसे महिला के पति और परिवार वालों ने ढूंढ निकाला। वे इस बात से बेहद नाराज थे कि वह उस पुरुष के साथ रह रही थी। वे दोनों को 'शुद्धिकरण अनुष्ठान' कराने के बहाने वापस सुरेंद्रनगर ले आए। आरोप है कि महिला को डंडों से पीटा गया, लात मारी गई और एक पेड़ से बांध दिया गया। यह भी आरोप है कि आरोपियों ने महिला के साथ मौजूद पुरुष को ही उसके साथ बलात्कार करने के लिए मजबूर किया। यह घटना तब सामने आई जब इस कथित हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

महाराष्ट्र के नासिक में दूषित बोरवेल का मामला

एक अन्य मामले में एनएचआरसी ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में अंबाद औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित दत्ता नगर इलाके में बोरवेल के पानी के दूषित होने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है कि पास के कारखानों से निकलने वाले रसायनों के रिसाव के कारण पानी दूषित हुआ है। मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी इस पर टिप्पणी मांगी है।

एनएचआरसी ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में बताई गई बातें अगर सच हैं तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। 7 अक्टूबर को छपी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दत्ता नगर के निवासियों को पिछले दो महीनों से दूषित बोरवेल का पानी मिल रहा है। आरोप है कि पास के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों से निकलने वाले रसायनों के रिसाव के कारण ऐसा हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों को स्कूल न जाने की सलाह दी गई है, जबकि डॉक्टरों ने इलाके की महिलाओं को फिलहाल गर्भवती न होने की सलाह दी है। स्थानीय निवासियों को साफ पीने का पानी खरीदने के लिए हर महीने लगभग 5,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, इसके अलावा उन्हें इलाज पर भी काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है।

Source: https://indiavoice.com/children-injured-after-ceiling-plaster-falls-in-a-rajasthan-school/amp/

राजस्थान के स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से बच्चे घायल, NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान
By HO BUREAU
Updated Date October 16, 2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राजस्थान के उदयपुर जिले में एक जर्जर सरकारी प्राथमिक विद्यालय की कक्षा की छत का प्लास्टर गिरने से तीन बच्चों के घायल होने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 6 अक्टूबर को भिंडर थाना क्षेत्र के नरदा गांव स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हुई। कक्षा की छत का एक हिस्सा अचानक बच्चों के ऊपर गिर गया।

घायल विद्यार्थियों की उम्र 7 से 8 वर्ष के बीच बताई गई है। हादसे में उनके सिर पर चोटें आईं। घटना सुबह करीब 11 बजे हुई, उस समय कक्षा में 32 बच्चे मौजूद थे। बताया गया है कि घटना के समय स्कूल में शिक्षक मौजूद नहीं थे। घायल बच्चे खुद ही पैदल अपने घर पहुंचे, जिसके बाद उनके परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए।

NHRC ने कहा कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला है। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उदयपुर के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायल विद्यार्थियों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी भी शामिल करने को कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सिर में चोट लगने से घायल तीनों बच्चों को इलाज के लिए भिंडर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, जहां से बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। छत का प्लास्टर तेज आवाज के साथ गिरने से स्कूल में मौजूद विद्यार्थियों और कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर स्कूल भवन को बंद कर दिया गया। वहीं, बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए स्थानीय धार्मिक स्थल के पास वैकल्पिक स्थान पर कक्षाएं संचालित करने की व्यवस्था की गई।

स्कूल के प्रधानाध्यापक लालसिंह शक्तावत ने बताया कि विद्यालय में पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है और यहां कुल 37 बच्चे नामांकित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल प्रशासन पहले ही भवन की जर्जर स्थिति के बारे में शिक्षा विभाग को सूचित कर चुका था। विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 2001 में हुआ था। इसमें दो कमरे और एक बरामदा है, जिनकी स्थिति खराब बताई गई है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भवन की बिगड़ती हालत को लेकर अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पुराने और खराब रखरखाव वाले भवनों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

(आईएएनएस)

Source: https://www.jagran.com/maharashtra/mumbai-nhrc-seeks-report-on-nashik-borewell-water-pollution-40407485.html

नासिक में कुंभ मेले से पहले दूषित हुआ बोरवेल का पानी, NHRC ने मांगी रिपोर्ट
By Digital Desk Edited By: Anshika Agarwal
Published: Fri, 16 Oct 2026 11:00 PM (IST)

महाराष्ट्र के नासिक जिले के दत्तनगर में बोरवेल का पानी रासायनिक प्रदूषण से दूषित हो गया है, जिससे स्थानीय निवासी दो महीने से परेशान हैं।

HighLights

नासिक के दत्तनगर में बोरवेल का पानी रासायनिक प्रदूषण से दूषित।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट।

औद्योगिक इकाइयों से रासायनिक अपशिष्ट रिसाव भूजल को दूषित कर रहा।

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के नासिक जिले में अंबड औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित दत्तनगर में बोरवेल का पानी रासायनिक प्रदूषण से दूषित हो गया है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लेकर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) से भी इस मामले में जानकारी मांगी गई है। आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में सामने आए तथ्य सही पाए जाने पर यह मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर विषय हो सकता है।

दत्तनगर के निवासी पिछले करीब दो महीने से बोरवेल के पानी के दूषित होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। स्थानीय अखबारों में इस आशय की कुछ खबरें भी प्रकाशित हुई थीं। जिनके अनुसार आसपास की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रसायनयुक्त अपशिष्ट का रिसाव जमीन के भीतर हो रहा है। इसके कारण रसायनों के भूजल तक पहुंचने और बोरवेल का पानी असुरक्षित होने की आशंका जताई गई है।

गौरतलब है कि नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले का औपचारिक शुभारंभ 31 अक्टूबर 2026 को ध्वजारोहण के साथ होने जा रहा है। लगभग दो वर्षों तक चलने वाले इस धार्मिक महापर्व में करोड़ों श्रद्धालु गोदावरी के पावन तट पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में जलस्रोत का दूषित होना सवाल खड़ा कर रहा है।

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-nhrc-issues-notice-to-ims-bhu-director-varanasi-police-commissioner-over-resident-doctor-s-death-201792173043613.amp.html

रेजिडेंट की खुदकुशी मामले में आयोग ने मांगी जांच रिपोर्ट
Oct 16, 2026 11:20 pm IST
By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी

आईएमएस-बीएचयू में महिला रेजिडेंट डॉ. सत्या की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए संस्थान के निदेशक और वाराणसी पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। उनसे काम के दबाव, आराम की कमी और वरिष्ठों के कथित उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर चार सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है।

वाराणसी। आईएमएस-बीएचयू के जनरल सर्जरी विभाग में महिला रेजिडेंट डॉ. सत्या की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए आईएमएस-बीएचयू के निदेशक और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों से शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर चार सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

आयोग के पत्र के अनुसार, सामान्य सर्जरी विभाग की महिला रेजिडेंट ने कथित तौर पर इंसुलिन की अधिक खुराक लेकर आत्महत्या का प्रयास किया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आयोग को हुई शिकायत में आरोप लगाया है कि अत्यधिक काम का दबाव, पर्याप्त आराम नहीं मिलना और वरिष्ठों के उत्पीड़न के कारण यह स्थिति बनी। शिकायतकर्ता ने मामले की स्वतंत्र जांच, ड्यूटी रोस्टर सुरक्षित रखने, शिकायत करने वाले डॉक्टरों को प्रताड़ना से बचाने और अधिकतम ड्यूटी अवधि के नियम लागू कराने की मांग की है।

Source: https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/nhrc-issues-notice-to-dhanbad-ssp-over-jpsc-jssc-exam-reform-protests

JPSC-JSSC Exam Reform: छात्रों के प्रदर्शन पर NHRC सख्त, छात्र नेता की शिकायत पर धनबाद SSP को नोटिस
Author पंकज कुमार त्रिपाठी Edited by प्रतीक्षा कुमारी
Updated: Sat, 17 Oct 2026 07:41 AM (IST)

JPSC-JSSC Exam Reform: छात्रों के प्रदर्शन पर NHRC सख्त, छात्र नेता की शिकायत पर धनबाद SSP को नोटिस

JPSC-JSSC परीक्षाओं में सुधार की मांग पर NHRC सख्त हुआ है. छात्र नेता चंडी तिवारी की शिकायत पर धनबाद SSP को जांच का नोटिस जारी कर दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है.

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में सुधार एवं पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की शिकायत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने गंभीरता से लिया है. आयोग ने धनबाद के एसएसपी को नोटिस जारी कर आरोपों की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

छात्र नेता चंडी तिवारी की शिकायत पर कार्रवाई

परीक्षाओं में सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता चंडी तिवारी के साथ कथित पुलिस कार्रवाई की शिकायत पर आयोग की पीठ ने संज्ञान लिया है. यह कार्रवाई मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत की गई है. गौरतलब है कि छात्र नेता चंडी तिवारी ने आयोग को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी.

रात 12:30 बजे घर पहुंची पुलिस, परिवार में डर का आरोप

शिकायत के अनुसार, JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के दौरान चंडी तिवारी को कथित तौर पर परेशान किया गया. आरोप है कि प्रदर्शन के बाद रात करीब 12:30 बजे पुलिस के दो वाहन उनके घर पहुंचे. शिकायतकर्ता के मुताबिक, इस घटना से परिवार के लोगों में डर और मानसिक परेशानी पैदा हुई.

छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने पर भी जताई चिंता

चंडी तिवारी ने अपनी शिकायत में अपने और अन्य छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर भी चिंता जताई है. अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने धनबाद के एसएसपी से मामले में जांच कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है. मामले में पुलिस की ओर से क्या रिपोर्ट दी जाती है, इस पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी.

Dainik Bhaskar, Online News, 17/10/2026

Source: [https://www.bhaskar.com/local/mp/guna/news/nhrc-notice-guna-private-school-fancy-dress-controversy-139391423.htmlफैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में राजनैतिक संदेश का मामला:राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामला संज्ञान में लिया; प्रमुख साहिब, कलेक्टर, DEO से मांगा जवाब](https://www.bhaskar.com/local/mp/guna/news/nhrc-notice-guna-private-school-fancy-dress-controversy-139391423.html)

फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में राजनैतिक संदेश का मामला: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामला संज्ञान में लिया; प्रमुख साहिब, कलेक्टर, DEO से मांगा जवाब
गुना24 मिनट पहले

गुना शहर के एक निजी स्कूल में फैंसी ड्रेस कार्यक्रम के दौरान नाबालिग छात्रा से कथित तौर पर विवादित राजनीतिक संदेशों वाली प्रस्तुति कराने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग क... आयोग के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्कूल प्रबंधन ने नाबालिग विद्यार्थियों का वैचारिक और राजनीतिक संदेशों के लिए इस्तेमाल किया। आयोग ने मामले को प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा प्रतीत होने वाला मानते हुए संबंधित अधिकारियों से जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

फैंसी ड्रेस कार्यक्रम में छात्रा की प्रस्तुति पर विवाद

मंगलवार को शहर के एक निजी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें बच्चों ने अलग-अलग पोशाकों में हिस्सा लिया। इसी दौरान एक छात्रा स्कूल यूनिफॉर्म में मंच पर पहुंची। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी और हाथ में एक तख्ती थी। तख्ती पर 'सरकार की पाठशाला' और 'अटेंडेंस शीट' लिखा था। इसके नीचे बेरोजगारी, नफरत, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महंगाई, गरीबी, वोट चोरी, पेपर लीक और घोटाले जैसे शब्दों के साथ 'प्रेजेंट सर' लिखा था, जबकि लोकतंत्र के सामने 'एब्सेंट सर' लिखा था। छात्रा की पीठ पर लटकी दूसरी तख्ती पर लोकतंत्र, सवाल पूछने और जागरूकता से जुड़ा संदेश लिखा था। इस प्रस्तुति को लेकर विवाद शुरू हो गया।

ABVP और हिंदू समाज ने किया प्रदर्शन

प्रस्तुति के विरोध में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने प्रदर्शन किया। परिषद के सदस्यों ने स्कूल के प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपकर स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्टीकरण जारी किया और जिम्मेदारी अभिभावकों पर डाली। शुक्रवार को हिंदू समाज के लोगों ने भी स्कूल के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। इस घटनाक्रम के बाद मामला और चर्चा में आ गया।

कलेक्टर और DEO से मांगा कार्रवाई प्रतिवेदन

आयोग के विधि प्रभाग की ओर से 16 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, मामले की शिकायत 15 अक्टूबर को आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। शिकायत की जांच के बाद आयोग ने प्रथम दृष्टया इसे पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा प्रतीत होने वाला मामला माना। शिकायत में आरोप लगाया गया कि स्कूल प्रबंधन ने नाबालिग छात्र-छात्राओं का कथित रूप से वैचारिक और राजनीतिक संदेशों के लिए इस्तेमाल किया। इसमें एक नाबालिग छात्रा से विवादित राजनीतिक संदेशों वाली प्रस्तुति कराने का आरोप भी शामिल है।

प्रमुख सचिव, कलेक्टर और DEO से मांगा कार्रवाई प्रतिवेदन

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, गुना कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने और की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने रिपोर्ट की एक प्रति निर्धारित ई-मेल पर भेजने को भी कहा है। अब संबंधित अधिकारियों की जांच और कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की प्रक्रिया तय होगी।

Hindu, Visakhapatnam, 17/10/2026
Page No: 4, Size: 11.99cm × 16.19cm

MP seeks probe into 'attempt on life' of Midhun Reddy

The Hindu Bureau
VIJAYAWADA

YSRCP's Tirupati MP Maddila Gurumoorthy sought the intervention of national institutions over the alleged attempt on the life of party's Floor leader in Lok Sabha P.V. Midhun Reddy at Punganur on Friday, the first day of filing of nominations for the local body elections.

Mr. Gurumoorthy submitted representations seeking urgent action to President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, the Chief Justice of India, Lok Sabha Speaker Om Birla, the CEC, the State Governor, the SEC, and the National Human Rights Commission chairperson.

He called for an impartial investigation into the incident, preservation of CCTV footage and other evidence, and a thorough examination of alleged security lapses.

He urged the Lok Sabha Speaker to consider referring the matter to the Committee of Privileges.

Prabhat Khabar, Ranchi, 17/10/2026
Page No: 4, Size: 9.68cm × 10.66cm

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छात्र की शिकायत पर जारी किया नोटिस

वरीय संवाददाता,रांची

□ धनबाद एसएसपी को नोटिस

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में सुधार की मांग करनेवालों की शिकायत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गंभीरता से लिया है. आयोग ने धनबाद के एसएसपी को नोटिस जारी किया. आयोग ने आरोपों की जांच कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. परीक्षाओं में सुधार एवं पारदर्शिता की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता चंडी तिवारी के साथ कथित पुलिस कार्रवाई की शिकायत पर आयोग की पीठ ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 की धारा 12 के तहत मामले में सज्ञान लिया है. उल्लेखनीय है कि छात्र नेता चंडी तिवारी ने आयोग को पत्र लिख कर कार्रवाई की मांग की है. आरोप है कि जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण व विरोध-प्रदर्शन के दौरान उन्हें परेशान किया गया. प्रदर्शन के बाद रात करीब 12:30 बजे पुलिस के दो वाहन उनके घर पहुंचे, जिससे परिवार के लोगों में डर और मानसिक परेशानी पैदा हुई. शिकायतकर्ता ने अपने और अन्य छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किये जाने को लेकर भी चिंता जतायी है.

Dainik Jagran (Jagran City), Ghaziabad, 17/10/2026
Page No: 2, Size: 3.73cm × 10.13cm

मानवाधिकार आयोग का ट्रांसफार्मर हादसे में नोटिस

गाजियाबाद: सिहानी गेट थाना क्षेत्र के दौलतपुरा स्थित फैक्ट्री में 23 सितंबर को विद्युत ट्रांसफार्मर फटने से कामगार की मौत और चार लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। मानवाधिकार पक्षकार राजीव कुमार शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। राजीव कुमार शर्मा के अनुसार आयोग ने दोनों अधिकारियों को मामले में जवाबदेह मानते हुए घटना की जांच कराने और चार सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। आयोग ने इस घटना को मजदूरों के मानवाधिकारों के हनन से जुड़ा गंभीर मामला माना है। हादसे में एक कामगार की मौत हो गई थी, चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। (जाग.)

DJ Rashtriya Sanskaran, Delhi, 17/10/2026
Page No: 7, Size: 14.29cm × 8.76cm

नासिक में रासायनिक प्रदूषण से दूषित हुआ बोरवेल का पानी, एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

महाराष्ट्र के नासिक जिले में अंबड औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित दत्तनगर में बोरवेल का पानी रासायनिक प्रदूषण से दूषित हो गया है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लेकर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) से भी इस मामले में जानकारी मांगी गई है। आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में सामने आए तथ्य सही पाए जाने पर यह मामला



प्रतीकात्मक

मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर विषय हो सकता है। दत्तनगर के निवासी पिछले करीब दो महीने से बोरवेल के पानी के दूषित होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। स्थानीय अखबारों में इस आशय की कुछ खबरें भी प्रकाशित हुई थीं। जिनके अनुसार आसपास की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रसायनयुक्त अपशिष्ट का रिसाव जमीन के भीतर हो रहा है। इसके कारण रसायनों के भूजल तक पहुंचने और बोरवेल का पानी असुरक्षित होने की आशंका जताई गई है।

गौरतलब है कि नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले का औपचारिक शुभारंभ 31 अक्टूबर 2026 को ध्वजारोहण के साथ होने जा रहा है। लगभग दो वर्षों तक चलने वाले इस धार्मिक महापर्व में करोड़ों श्रद्धालु गोदावरी के पावन तट पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में जलस्रोत का दूषित होना सवाल खड़ा कर रहा है।